भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 558

जिसका उत्तर 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

25 भाद्रपद, 1942 (शक)

आधार नियम

558. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नियम सुशासन और सामाजिक कल्याण लाभों के दुरुपयोग को रोकना सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग की अनुमति प्रदान करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख)** : जी, हां। सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) नियम, 2020 दिनांक 05.08.2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। विवरण लिंक: https://uidai.gov.in/images/AadhaarAuthentication_for_Good_Governance_Rules_2020.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ग) और **(घ)** : जी, हां। सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन के लिकेज को रोकने, निवासियों के जीवन की सहूलियत को बढ़ावा देने और उन्हें सेवाओं के बेहतर अभिगम के लिए सक्षम बनाने के लिए संस्थाओं से अनुरोध करके निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है, अर्थात :

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

(ख) समाज कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना; तथा

(ग) नवाचार को सक्षम बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

*****